संख्या-15 /2024/56/26-3-2024-CN-1355446

प्रेषक,

राज कुमार झा
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2024

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1749/स0क0/एन0एस0ए0पी0/रा0पा0ला0यो0/2023-24, दिनांक-02.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-104-05-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सहायता कार्यक्रम-02-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित केन्द्रांश की धनराशि रू0-30000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-3763.36 लाख एवं अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्ष-2235-02-104-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-01-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू0-15000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-1881.68 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-5645.04 लाख (रू0-छप्पन करोड़ पैतालीस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2023-24 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि

सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17-03-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/ स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5)-यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8)-प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(9)-बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता एवं शुद्धता का दायित्व निदेशक, समाज कल्याण विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, समाज कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10)-प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(11)-भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या No.J-12036/1/2014-NSAP Dated 29-12-2023 के अन्तर्गत दर्शायी गई है अतः विभाग अपने स्तर पर भी भारत सरकार से संपर्क कर संतुष्ट हो लें आर०बी०आई० के मेमो में प्राप्त धनराशि की तिथि प्रश्नगत स्वीकृत आदेश की ही हो।

(12)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(13)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 37,63,36,000 (रुपये सैंतीस करोड़ त्रेसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 लेखा शीर्षक 2235021040502 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (के.67.67/रा.33.33-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 18,81,68,000 (रुपये अठारह करोड़ इक्यासी लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235021048901 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-197-X-2023-24 दिनांक:18-01-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by राज कुमार झा
Date: 19-01-2024 17:40:19
Reason: Approved
(राज कुमार झा)
अनु सचिव

संख्या- 15 /2023/ ——/001-56-26-3-2024-CN-1355446, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

4-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

7-गार्डफाइल।

(राज कुमार झा)
अनु सचिव